(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 19/2018

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री गोविन्द लाल उम्र 65 वर्ष पुत्र प्रेमचन्द यादव जाति यादव निवासी हॉस्पिटल रोड बारॉ **(मालिक एवं विक्रेता)** मेसर्स पारस किराना स्टोर, हॉस्पिटल रोड बारॉ जिला बारॉ।
2. श्री महेश कुमार पुत्र श्री गोविन्द लाल जाति यादव निवासी हॉस्पिटल रोड बारॉ **(खाद्य रजिस्ट्रेशन धारी)** मेसर्स पारस किराना स्टोर, हॉस्पिटल रोड बारॉ जिला बारॉ।
3. श्री सतीश डॅग उम्र 36 वर्ष पुत्र श्री गुलशल निवासी हॉस्पिटल रोड बारां। मैसर्स भोलेनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, हॉस्पिटल रोड बारां।
4. सुनीता उम्र 32 वर्ष पत्नि श्री राहुल जामड निवासी 31–के, महावीर कॉलोनी, बांदनवाडा, तहसील भिनय जिला अजमेर। मैसर्स ऑसवाल मार्केटिंग, ए–1/620ए नारायण इण्डस्ट्रिज एरिया रोड न06 वी.के.आई, एरिया जयपुर।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– स्वंय उपस्थित (अप्राथी क्रम 1 व 2)
3– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (अप्राथी क्रम 3)
4– श्री रूपचन्द सिंघावत अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 4)

निर्णय दिनांक 27.11.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.11.2017 को मैसर्स पारस किराना स्टोर, हॉस्पिटल रोड बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री गोविन्द लाल पुत्र श्री प्रेमचन्द यादव **(मालिक एवं विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 29.11.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक (फॉचून प्लस)** 1 किलो की पेकिंग में विक्रय हेतु रखे हुये थे, जिसमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर उसमें से विक्रेता से **आयोडाईज्ड नमक (फॉचून प्लस)** 1 किलो ग्राम मात्रा के 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 40/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे **आयोडाईज्ड (फॉचून प्लस)** 1 किलो ग्राम मात्रा के 4 पैकेट को चार नमूना भाग मे अलग–अलग कर, प्लास्टिक के साफ सुखे स्वच्छ डिब्बो मे मूल ही भरकर प्रत्येक डिब्बो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर, प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–787 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर उपर से नीचे तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 950/FSSA/Kota/ Act/2017/983 दिनांक 8.12.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड (फॉचून प्लस)** 1 किलो ग्राम पैकेट खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 51 के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 13.7.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 स्वंय उपस्थित रहे है एव क्रम 3 व 4 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी क्रम 4 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की [illegible] बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने बहस परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक (फॉचून प्लस)** 1 किलो पैकेट का विक्रय किया जा रहा था, वह [illegible] मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ ने **आयोडाईज्ड नमक (फॉचून प्लस)** की जांच हेतु लिया गया नमूना दिनांक 29.11.2017 की जांच खाद्य विश्लेषक कोटा द्वारा की गई है जिसके आधार पर उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया है जो मिथ्या आधारो पर आधारित होने से निरस्तनीय है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नमक का लिया गया नमूना एवं लिये गये नमूने की पैकिंग व उसके रख रखाव की खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियमों एवं प्रकिया तथा उसके प्रावधानानुसार न होने से परिवाद निरस्तनीय है। यह कि नमूने का विषलेशण करने वाली प्रयोगशाला फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री कोटा नेशनल एक्केडिटेशन बोर्ड से टेस्टिंग एवं केलिब्रेशन का विश्लेषण करने बाबत मान्यता प्राप्त नही है। यह कि फूड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री कोटा की जांच दिनांक 8.12.2017 मे उक्त पदार्थ को सब स्टेण्डर्ड माना है जबकि उक्त जांच लेबोरेट्री इस प्रकार के नमूनो की जांच के लिये किसी भी प्रकार से अधिकृत नही है तथा यह दस्तावेज किसी भी रूप मे ग्राहय में दस्तावेज साक्ष्य नही है फिर भी अप्रार्थी के विरूद्व एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (ॉ।।) का उल्लंघन मानकर परिवाद पेश किया है जो अधिनियम के विधि प्रावधानों के असंगत होने से कार्यवाही बन्द किये जाने योग्य है। परिवादी ने तथाकथित नमूना अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानो की अनदेखी कर माननीय विधिक प्रकिया का उल्लंघन कर लिये गये है नमूना लेते समय नमी का ध्यान न रखने से उक्त जांच मे मामूली अन्तर आया है, नमूने के लिये अपनाई गई दूषित प्रक्रिया का परिणाम है इसलिये परिवाद पूरी तरह से गलत है एवं स्वीकार योग्य नही है। अप्रार्थीगण द्वारा की गई खाद्य पदार्थ की सप्लाई किसी भी प्रकार से मानव जीवन के लिये घातक नही है। अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही ड्रोप की जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 950/FSSA/Kota/Act/2017/983 दिनांक 8.12.2017 से असन्तुष्ट थे, तो अप्रार्थी कम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नही करवायी गई है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी कम 1 व 2 के पास से वास्ते नमूना जांच कय किया गया, खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक (फॉचून प्लस)** 1 किलो ग्राम पैकेट जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ॉ।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी कम 1 ता 4 प्रत्येक अप्रार्थी को 2500/— 2500/— रूपये पत्रावली मे कुल जुर्माना राशि 10,000/— रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि पृथक—पृथक अथवा एक ही प्रतिनिधी के माध्यम से जमा करवा सकते है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां [illegible] सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.01.08 15:49:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: